संख्या-07/2019/221/46-1-19-1000(20)/2018

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, गोण्डा तथा बलरामपुर ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, 2019

विषयः- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-1329/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 11-02-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित की धनराशि रू. 274.00 लाख (रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, गोण्डा तथा बलरामपुर के कुल 18 सम्पर्क मार्गों हेतु शासनादेश संख्या-36/2018/1474/46-1-18-1000(20)/2018, दिनांक 30-10-2018 द्वारा कुल लागत रू. 342.504 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू. 274.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत सम्पर्क मार्गों में से जनपद सहारनपुर के 02 सम्पर्क मार्गों (संलग्न-1 के अनुसार) का निर्माण अन्य विभाग द्वारा करा दिये जाने के कारण उन्हें निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उनकी राज्यांश की शत प्रतिशत धनराशि रू. 29.304 लाख एवं अवशेष 16 सम्पर्क मार्गों के लिए स्वीकृत राज्यांश में घटित बचत की धनराशि रू. 24.956 लाख अर्थात कुल धनराशि रू. 54.26 लाख का समायोजन करते हुये संलग्नक-2 के अनुसार कुल 16 सम्पर्क मार्गों की संशोधित लागत रू. 274.661 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं उसके सापेक्ष संशोधित राज्यांश की धनराशि रू. 219.74 लाख तथा संलग्नक-3 में उल्लिखित 5 नये सम्पर्क मार्गों हेतु स्तम्भ-6 में उल्लिखित कुल लागत रू. 69.095 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित स्तम्भ-7 के अनुसार राज्यांश की धनराशि रू. 54.260 लाख श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तद्हेतु इस शासनादेश के संलग्नक-2 के कालम-8 एवं संलग्नक-3 के कालम-8 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) सैंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। शासनादेश के संलग्नक-2 के कालम-9 एवं संलग्नक-3 के कालम-9 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(7) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2019) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(11) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(15) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-अंशदायी आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-375/दस-2018-231 /2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

कमल किशोर गुप्त
संयुक्त सचिव।

संख्या-07/2019/221/46-1-19-1000(20)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
6- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
7- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
9- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
10- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
11- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
12- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
13- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
14- नियोजन अनुभाग-4/ राज्य योजना आयोग-1/2,
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
16- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-07/2019/221/46-1-19-1000(20)/2018, दिनांक 08 मार्च, 2019 का संलग्नक-1

क्र0	जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेशानुसार स्वीकृत		
			लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (ला.रू.)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला.रू.)
1	2	3	4	5	6
1	सहारनपुर	बिड़वी गांव से चीनी मिल की ओर।	0.500	9.640	7.7120
2	सहारनपुर	नया गांव सम्पर्क मार्ग।	1.500	26.990	21.5920
		जनपद योग	**2.000**	**36.630**	**29.3040**

(रूपये उनतीस लाख तीस हजार चार सौ मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-07/2019/221/46-1-19-1000(20)/2018, दिनांक 08 मार्च, 2019 का संलग्नक-2

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	संशोधित विवरण के अनुसार					
				लंबाई (कि0मी0)	संशोधित लागत (ला0रू0)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला0रू0)	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की देय धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु वानिकीकरण एवं सेन्टज रहित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	1	जड़ौदा जट से रसूलपुर।	1.000	17.2700	13.8160	0.0610	1.5150	12.2400
2	सहारनपुर	2	जटौल मंझौल मार्ग से जटौल की ओर।	0.820	13.2600	10.6080	0.0470	1.1630	9.3980
			जनपद योग	**1.8200**	**30.5300**	**24.4240**	**0.1080**	**2.6780**	**21.6380**
3	मु0 नगर	1	मन्तौडी मार्ग	1.3800	20.8660	16.6930	0.0730	1.8300	14.7900
			जनपद योग	**1.3800**	**20.8660**	**16.6930**	**0.0730**	**1.8300**	**14.7900**
4	मेरठ	1	भन्डौरा से कोहला मार्ग अवशेष भाग	0.6000	13.4400	10.7520	0.0470	1.1790	9.5260
5	मेरठ	2	मवाना परीक्षितगढ़ रोड से ढिकौली मार्ग	0.4200	8.3600	6.6880	0.0290	0.7330	5.9260
6	मेरठ	3	नारंगपुर . शिवपुरी रोड से अमरसिंहपुर मार्ग	1.3000	34.1000	27.2800	0.1200	2.9900	24.1700
7	मेरठ	4	सरसावा से महलका की ओर मार्ग	1.0000	18.2340	14.5870	0.0640	1.5990	12.9240
			जनपद योग	**3.3200**	**74.1340**	**59.3070**	**0.2600**	**6.5010**	**52.5460**
8	बिजनौर	1	खानपुर से भोगपुर अवशेष भाग	0.260	6.3930	5.1140	0.0220	0.5610	4.5310
9	बिजनौर	2	हल्दौर-गंज मार्ग से विसाठ मार्ग अवशेष भाग	0.600	13.7240	10.9790	0.0480	1.2040	9.7270
10	बिजनौर	3	भोजपुर से मालन के पुल तक (भोजपुर बुडगरा मार्ग)	1.800	38.9520	31.1620	0.1370	3.4160	27.6090
11	बिजनौर	4	मण्डावली से हुकुमतपुर केशो अवशेष भाग	1.010	17.5180	14.0140	0.0610	1.5360	12.4170
			जनपद योग	**3.6700**	**76.5870**	**61.2690**	**0.2680**	**6.7170**	**54.2840**
12	बरेली	1	पचपेड़ा से खुटिया	1.3100	25.6490	20.5190	0.0900	2.2490	18.1800
			जनपद योग	**1.3100**	**25.6490**	**20.5190**	**0.0900**	**2.2490**	**18.1800**
13	पीलीभीत	1	कल्यानपुर दियूरी मार्ग से सिरसा सरदहा गांव तक	0.7000	15.1580	12.1260	0.0530	1.3290	10.7440
			जनपद योग	**0.7000**	**15.1580**	**12.1260**	**0.0530**	**1.3290**	**10.7440**
14	सीतापुर	1	सोन्सरी से मुगलपुर	0.5000	18.0830	14.4790	0.0630	1.5860	12.8300
			जनपद योग	**0.5000**	**18.0830**	**14.4790**	**0.0630**	**1.5860**	**12.8300**
15	गोण्डा	1	हारीपुर प्राथमिक स्कूल से बहादीपुर ग्राम सभा भाग-2	0.1870	5.8240	4.6590	0.0200	0.5110	4.1280
			जनपद योग	**0.1870**	**5.8240**	**4.6590**	**0.0200**	**0.5110**	**4.1280**
16	बलरामपुर	1	घमौली से ज्वालापुर का अवशेष भाग	0.2800	7.8300	6.2640	0.0270	0.6870	5.5500
			जनपद योग	**0.2800**	**7.8300**	**6.2640**	**0.0270**	**0.6870**	**5.5500**
	महा योग			**13.1670**	**274.6610**	**219.7400**	**0.9620**	**24.0880**	**194.6900**

(रूपये दो करोड उन्नीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shas

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या-07/2019/221/46-1-19-1000(20)/2018, दिनांक 08 मार्च, 2019 का संलग्नक-3

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई (कि0मी0)	अनुमानित लागत (ला0रू0)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला0रू0)	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की देय धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु वानिकीकरण एवं सेन्टज रहित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	1	खुडाना मार्ग शेष भाग	0.500	9.800	7.696	0.0340	0.8590	6.8030
2	सहारनपुर	2	भावपुर से पिलखनी शेष भाग	0.425	10.830	8.505	0.0380	0.9500	7.5170
			जनपद योग-	**0.925**	**20.630**	**16.201**	**0.072**	**1.809**	**14.320**
3	मुजफ्फर नगर	1	भोकरहेडी मार्ग से ग्राम वजीराबाद सी.सी. रोड तक	0.180	4.644	3.647	0.0160	0.4070	3.2240
			जनपद योग-	**0.180**	**4.644**	**3.647**	**0.016**	**0.407**	**3.224**
4	मेरठ	1	सरधना खीर्वा रोड से पोहली मार्ग	1.350	30.361	23.842	0.1070	2.6630	21.0720
			जनपद योग-	**1.350**	**30.361**	**23.842**	**0.107**	**2.663**	**21.072**
5	बरेली	1	गुरसौली सम्पर्क मार्ग	0.500	13.460	10.570	0.0470	1.1800	9.3430
			जनपद योग-	**0.500**	**13.460**	**10.570**	**0.047**	**1.180**	**9.343**
			महायोग-	**2.955**	**69.095**	**54.260**	**0.242**	**6.059**	**47.959**

(रूपये चौवन लाख छब्बीस हजार मात्र)

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है